न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 172/2020
3. उनवान : सरकार जरिये, थानाधिकारी, थाना–पनियाला

बनाम

श्री रमेश पुत्र श्री दाताराम, निवासी नवलपुरा, पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर।

4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

ब) श्री मुकेश अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी थानाधिकारी, थाना पनियाला, द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 16.05.2017 को पुलिस थाना पनियाला द्वारा वाहन (पिकअप) नं. RJ-32-GB-2750 से अवैध रुप से परिवहन किया जा रहे 11 प्लास्टिक के ड्रमों में 1800 लीटर डीजल को जब्त किया। अप्रार्थी द्वारा उक्त डीजल खरीदने के बिल पेश नहीं किये गये एवं निर्धारित मात्रा से अधिक का भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना डीजल के खरीद–फरोख्त का लाईसेन्स प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। दिनांक 08.06.2017 को अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश ने उपस्थिति दी। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया। दिनांक 08.06.2017 को अप्रार्थी ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 6,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 22.06.2017 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 16.05.2017 को जब्त डीजल का अवैध रुप से भण्डारण एवं परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्त डीजल के बिल नहीं दिये तथा डीजल की खरीद बेचान का लाइसेंस व विस्फोटक विभाग का लाईसेंस प्रस्तुत नहीं किया, जबकि राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 में किसी व्यक्ति के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के एक समय पर उसके पास अधिसूचित सीमा यथा 1000 लीटर से अधिक डीजल की मात्रा का स्वयं या अपने निमित्त किसी भी व्यक्ति के मार्फत किसी भी समय भण्डारण करने और कब्जे में रखने के संबंध में प्रतिबंध व निर्बन्धन है तथा बिना अनुज्ञा पत्र के पेट्रोल व डीजल का बेचान प्रतिबंधित है। पूछताछ में अप्रार्थी ने हरियाणा से डीजल भरकर नवलपुरा में बेचने के लिये लेकर जाना बताया। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब एवं कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त डीजल 1778 लीटर(सेम्पल लेने के पश्चात) एवं जब्त वाहन पिकअप नंबर RJ-32-GB-2750 को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।